

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महानदी भवन, नया रायपुर

मंत्रालय

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 16/12/2011

क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011: छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित लोक प्राधिकारी (पद) सक्षम अधिकारी का पदनाम, अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

स.क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले लोक प्राधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीली य अधिका री
1	2	3	4	5	6	7
1.	तहसील कार्यालय	चालू खसरा/ खतौनी/नक्शे की प्रतिलिपि प्रदान किया जाना				
		(अ) सामान्य	15 कार्य दिवस	तहसीलदार	अनुविभागी य अधिकारी	कलेक्टर
		(ब) तत्काल (निर्धारित फीस अदायगी)	5 कार्य दिवस	तहसीलदार	अनुविभागी य अधिकारी	कलेक्टर
2.	जिला कार्यालय	राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के अंतर्गत प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंग हानि अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	कमिश्नर	सचिव राजस्व
3.	तहसील कार्यालय	(अ) शोध क्षमता प्रमाण पत्र का प्रदाय (5.00 लाख तक)	30 कार्य दिवस	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभागी य अधिकारी	कलेक्टर
	अनुभाग कार्यालय	(ब) शोध क्षमता प्रमाण पत्र का प्रदाय (25.00 लाख तक)	45 कार्य दिवस	अनुविभागी य अधिकारी	कलेक्टर	कमिश्न र
	जिला कार्यालय	(स) 25.00 लाख से उपर	45 कार्य दिवस	कलेक्टर	कमिश्नर	सचिव राजस्व

4.	पटवारी कार्यालय	किसान पुस्तिका	15 कार्य दिवस	तहसीलदार	अनुविभागी य अधिकारी	कलेक्टर
5.	तहसील कार्यालय	किसान पुस्तिका डुप्लीकेट	90 कार्य दिवस	तहसीलदार	अनुविभागी य अधिकारी	कलेक्टर
6.	पटवारी कार्यालय	22 बिन्दु प्रतिवेदन का प्रदाय (किसी भी प्रकार की भूमि के लिये)	7 कार्य दिवस	पटवारी	अनुविभागी य अधिकारी	कलेक्टर

छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी0 निहालानी)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन नया रायपुर

ःः अधिसूचनाःः

रायपुर, दिनांक 16/05/2013

क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011:ः छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 4-124/सात-3/2011 दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 के संलग्न अनुसूची के सरल क्रमांक -06 के नीचे निम्नानुसार अंतः स्थापित किया जाता है, अर्थात् -

स.क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले लोक प्राधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
7	तहसील कार्यालय	अस्थाई जाति प्रमाण-पत्र	30 कार्य दिवस	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभागी य अधिकारी राजस्व	कलेक्टर
8	तहसील कार्यालय	स्थाई जाति प्रमाण -पत्र	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	कलेक्टर	कमिश्नर
9	तहसील कार्यालय	निवास प्रमाण-पत्र	30 कार्य दिवस	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभागी य अधिकारी राजस्व	कलेक्टर
10	तहसील कार्यालय	आय प्रमाण-पत्र	30 कार्य दिवस	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभागी य अधिकारी राजस्व	कलेक्टर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी. निहालानी)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन नया रायपुर

०:०: अधिसूचना:०:

रायपुर, दिनांक 18/10/2013

क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011:०: छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ- 4-124/सात-3/2011, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 के संलग्न अनुसूची के सरल क्रमांक -06 में अंकित निम्न प्रावधान को विलोपित करता है:-

स.क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले लोक प्राधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीली य अधिका री
1	2	3	4	5	6	7
6.	पटवारी कार्यालय	22 बिन्दु प्रतिवेदन का प्रदाय (किसी भी प्रकार की भूमि के लिये)	7 कार्य दिवस	पटवारी	अनुविभागी य अधिकारी	कलेक्टर

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार**

(पी. निहालानी)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 30/01/2016

क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011: छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में निम्नालिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

सरल क्रमांक 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

स.क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी हैं	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
"11	तहसील कार्यालय	<u>धारा 59 के अन्तर्गत</u> <u>पुनर्निर्धारण</u> आवासीय क्षेत्र/ आवासीय कॉलोनी/ परियोजना	30 कार्य दिवस	तहसीलदार	तहसीलदार/ अधीक्षक भू- अभिलेख	अनुविभागी य अधिकारी
	कार्यालय अनुविभागी य अधिकारी	<u>धारा 59 के अन्तर्गत</u> <u>पुनर्निर्धारण</u> आवासीय क्षेत्र/ आवासीय कॉलोनी/ सार्वजनिक परियोजना/ संस्थागत परियोजना	30 कार्य दिवस	अनुविभागी य अधिकारी (राजस्व)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	कलेक्टर
	कार्यालय कलेक्टर	<u>धारा 59 के अन्तर्गत</u> <u>पुनर्निर्धारण</u> आवासीय क्षेत्र/ आवासीय कॉलोनी/ सार्वजनिक परियोजना	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	कलेक्टर	आयुक्त"

		संस्थागत परियोजना, चिकित्सा सेवार्ये, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परियोजना				
--	--	--	--	--	--	--

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(पी. निहालानी)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 12/05/2016

क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011: छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

सरल क्रमांक 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:-

स.क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
12.	तहसील कार्यालय	भूमि का सीमांकन	3 माह	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभा गीय अधिकारी (राजस्व)	कलेक्टर
13.	तहसील कार्यालय	(अ) अविवादित नामांतरण	3 माह	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभा गीय अधिकारी (राजस्व)	कलेक्टर
		(ब) अविवादित नामांतरण	3 माह	ग्राम पंचायत	तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी

14.	तहसील कार्यालय	(अ) अविवादित बंटवारा	3 माह	तहसीलदार	अनुविभा गीय अधिकारी	कलेक्टर
		(ब) अविवादित बंटवारा	3 माह	ग्राम पंचायत	तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी. निहालानी)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग